न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी :— प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 5/2025 ई.रे. दिनांक 07.10.2025

मंगनीराम पिता भैरा मोग्या नि. सरोड़ तहसील बड़ीसादड़ी

— प्रार्थी

बनाम

1. प्रताबी पत्नी भैरा मोग्या नि. सरोड़ तहसील बड़ीसादड़ी
2. बालु पिता भैरा मोग्या नि. सरोड़ तहसील बडीसादडी
3. भूमिधारी तहसीलदार बडीसादड़ी

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित— श्री एच.एस. राठौड़ वकील प्रार्थी

—:: आदेश::—

प्रार्थी की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि गांव सिरोड पटवार हल्का खेरमालिया में स्थित है। जिसके खाता संख्या नया 165 पुराना 114 की आराजी नम्बर 146 रकबा 0.3800 हैक्टेयर आराजी नम्बर 150 रकबा 2.1500 हैक्टेयर आराजी नम्बर 151 रकबा 0.2200 हैक्टेयर आराजी नम्बर 152 रकबा 0.0100 हैक्टेयर है आराजी नम्बर 74 रकबा 0.5600 हैक्टेयर कुल खसरे 5 रकबा 3.3200 हैक्टेयर है जो ग्राम सिरोड तहसील बडीसादडी में स्थित है। उक्त आराजी को प्रार्थनपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा। वर्णित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खाते की होकर दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को विरासत से प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा निहित है। उक्त वादग्रस्त आराजी का मौके पर विधिवत रूप से बंटवाडा नही किया गया है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक हिस्से की आराजी को कुछ कहने पर किसी अन्य को विक्रय करने की धमकी देते है व रकबे की कमी पेशी को लेकर आये दिन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच लडाई झगडा होता रहता है जिस कारण वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच हक हिस्से अनुसार विधिवत रूप से बंटवाडा किया जाकर प्रार्थी के नाम प्रथक से दर्ज रिकार्ड फरमाया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण प्रार्थी से वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को उसके हक हिस्से की आराजी से महरूम करने की नियत से आये दिन लडाई झगडा एवं मारपीट करने पर अमादा होते है जिस कारण अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह प्रार्थी के हक हिस्से की आराजी पर कब्जा न करे न करावे तथा प्रार्थी को उसके हक हिस्से से महरूम न करे न करावे तथा किसी अन्य को विकय एवं हस्तान्तरित न करे ना ही करावें।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थी के हक हिस्से की आराजीयात पर कब्जा विक्रय व हस्तान्तरण ना करे ना करावे तथा प्रार्थी को उसके हक हिस्से की आराजीयात से महरूम ना करे ना करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:46:46 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है

1— प्रथम दृष्टया मामला

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– **प्रथम दृष्टया मामला**
पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी हैं तथा प्रथम दृष्टया प्रार्थी खातेदार है। विपक्षीगण प्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर आमादा है । इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–
चूंकि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी है। जिससे प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित है । तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि विपक्षी को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में सफल रहे है।

–:निर्णय:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा सिरोड़ पटवार हल्का खेरमालिया की आराजी नं. 146, 150, 151, 152, 74 कुल किता 5 रकबा 3.3200 हैक्ट. भूमि पर विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के हक हिस्से की आराजीयात पर कब्जा विक्रय व हस्तान्तरण ना करे ना करावे तथा प्रार्थी को उसके हक हिस्से की आराजीयात से महरूम ना करे ना करावे।
यह आदेश आज दिनांक 07.10.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:46:46 IST
Reason: SelfAttested